प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ को प्राप्त पत्र यादि कमांक TM-3/Purchase/TFC/2013-14 / Machinery/ 1213M दिनांक 13.08.2014 की प्रति।

विषयः– संस्थान स्तर पर मदों की खरीद बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विभाग के पत्र कमांक टी0एम0–3/Institutes' Purchase Committee/ 2013-14/मशीनरी/1441 दिनांक 08.11.2013 तथा कमांक 127 M दिनांक 05.02.2014 के संदर्भ में।

निदेशालय द्वारा उपरोक्त पत्रों द्वारा गठित कमेटी को संस्थान स्तर पर मदों की खरीद करते समय निम्नलिखित शर्तें लगाने के आदेश दिए जाते हैं:–

1. Petty Tools and Equipments मदों की खरीद निदेशालय के पत्र कमांक टी0एम0–3/Institutes' Purchase Committee/ 2013-14/मशीनरी/1441 दिनांक 08.11.2013 तथा कमांक 127 M दिनांक 05.02.2014 द्वारा संस्थान स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से ही की जाए।
2. संस्थान की तकनीकी कमेटी खरीदी जाने वाली मदों की विशिष्टयां तैयार करेगी।
3. संस्थान स्तर पर खरीदी जाने वाली मदों को प्रैस में टैण्डर के माध्यम से खरीदा जाए।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि खरीदी जानें वाली मदें ISI/BIS मार्क हों तथा/ अथवा सप्लायर /निर्माता फर्म ISO certified हो।
5. खरीदी जाने वाली मदों को ट्रेड वाइज़ पैकेज बनाया जाए तथा उसके अनुसार ही मदों की खरीदी जाए।
6. समय अवधि– खरीदी जाने वाली मदें पूर्ति आदेश के एक महीने की समयावधि के अन्दर–2 सप्लाई करवाई जाएं।
7. पेमेन्ट टर्मज़– मद के फिजीकली प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर 90 प्रतिशत राशि की अदायगी तथा शेष 10 प्रतिशत अदायगी मशीनों की इन्सटालेशन तथा वर्किंग पर की जाए। इसके अलावा जो पैटी टूल्ज़ मद हैं, वे फिजीकली पूर्ति आदेश मे दी गई विशिष्टियों अनुसार सही प्राप्त होने पर उनकी 100 प्रतिशत की अदायगी की जाए।
8. प्रेषण पूर्व संस्थान स्तर पर निरीक्षण कमेटी का गठन किया जाए तथा सप्लायर फर्मों द्वारा मदों की सप्लाई से पूर्व गठित कमेटी द्वारा मदों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
9. प्रत्येक मद का निरीक्षण कमेटी द्वारा सप्लाई आर्डर अनुसार निरीक्षण किया जाए।
10. जिस फर्म द्वारा जो रेट दिए गए हैं वह फर्म प्रमाणित करे कि हरियाणा में कहीं पर भी इससे कम रेट पर यह मद उपलब्ध नही है।

P.T.O.

11. प्रोफरमैन्स गारण्टी– खरीदी जाने वाली मद की वारण्टी दो वर्ष की होगी, इसके बदले मे निर्माता फर्म को कुल सप्लाई आर्डर की वैल्यू का 5 प्रतिशत की राशि प्रोफरमैन्स गारण्टी के रूप में जमा करवानी होगी।

12. मदों पर कम से कम दो वर्ष की वारण्टी प्राप्त की जाए जिसका उल्लेख पूर्ति आदेश में भी स्पष्ट हो।

13. खरीदी जाने वाली मद के रेटस जो फर्म द्वारा दिए गए हैं उसमे टैक्स include होगा, माने जाएंगे।

14. खरीद के दौरान विभाग तथा सरकारी नियमानुसार मदों की खरीद सम्बन्धी पूर्ण प्रकिया अपनाई जाए तथा मदों की सप्लाई से पूर्व इनको नियमानुसार पूर्ति आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्थान में मद प्राप्त होने पर स्टोरकीपर से तुरन्त स्टोर के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करवाएं। इसके उपरान्त व्यवसाय अनुदेशकों की मांग अनुसार इन्हे इश्यू किया जाए।

16. जो मदें रेट कान्ट्रेक्ट पर उपलब्ध हों, उन्हे हिदायतों अनुसार रेट कान्ट्रेक्ट पर खरीदा जाए।

यदि उपरोक्तानुसार मदों की खरीद नही की गई तथा इसमें कौताही बरती गई तो संस्थान का मुखिया स्वयं जिम्मेवार होगा।

आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।

**निदेशालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़**

पृष्ठांकन कमांकः TM-3/Purchase/T.F.C./2013-14/ Mach./1217 M दिनांक:20.08.2014

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है:–

1. सभी प्रधानाचार्य / वर्ग अनुदेशक इंचार्ज,
   राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (हरियाणा राज्य में स्थित)।

2. सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापिका / इंचार्ज,
   राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)(हरियाणा राज्य में स्थित)।

सहायक निदेशक(मशी0)
कृतेः महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़।